

अध्यक्ष, यू. पी. जल निगम और अन्य

बनाम

राधेश्याम गौतम और अन्य

30 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और आर. वी. रवींद्रन, जे.जे.]

सेवा कानून: सेवानिवृत्ति की आयु - यूपी जल निगम के कर्मचारी- सेवा शर्तें- अभिनिर्धारित, वैसी ही होगी जैसी राज्य सरकार की सेवाओं के ऐसे सरकारी सेवकों को नियमों, विनियमों या आदेशों के अधीन लागू होती हैं- मौलिक नियमों के नियम 56(ए) के संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है -

इसलिए, यह निगम-प्रशासनिक कानून-प्रशासनिक निर्णय-उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 37 उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इंजीनियर्स (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियम, 1978।

प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 जल निगम की सेवा में 60 वर्ष की आयु तक बने रहने की अनुमति हेतु याचिका प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने रिट याचिका का विरोध इस आधार पर किया कि उसके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की मानक आयु 58 वर्ष है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर की। इस कारण यह अपील पेश हुई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 37 और उत्तर प्रदेश जल निगम अभियंता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियम, 1978 के विनियम 31 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत ऐसे सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं, जब तक कि इन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है। यदि विनियम नहीं बनाए गए हैं, तो निगम के पास अधिनियम की धारा 15(1) के तहत अवशिष्ट शक्ति थी, जिसके द्वारा वह सामान्य शक्ति के तहत सेवा शर्तों को बदल सकता था और तब तक क्रियाशील रह सकता था जब तक नियम नहीं बनाए गए थे। [पैरा 8] [588- ई- जी]

1.2. वर्तमान मामले में, विशेष रूप से विनियम 31 को प्रावधानित करते हुए वर्ष 1978 में ही विनियम बनाए जा चुके थे कि निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी, जिसका अर्थ केवल यह नहीं होगा कि वे बनी रहेंगी बल्कि उसमें किया गया कोई भी संशोधन न तो धारा 37 में होगा, ना ही विनियम 31 में होगा। यह उल्लेख किया गया है कि नियम जो अस्तित्व में हैं वही लागू होंगे।

राज्य सरकार द्वारा मूल नियमों के नियम 56 (ए) में किए गए संशोधन के बाद और इस तरह सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के बाद, यह निगम के कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा और यदि राज्य सरकार के साथ-साथ निगम का इरादा था कि यह लागू नहीं होगा, उसके पास एकमात्र विकल्प राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के बाद विनियम 31 में उचित संशोधन करना था। केवल राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 89 के तहत कार्य करने का निर्देश जारी करना और उसके बाद कर्मचारियों की आयु के संबंध में अधिनियम की धारा 15

के तहत निगम द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेना, विनियमों के विनियम 31 में संशोधन करने के समान नहीं होगा। [पैरा 8] [588-जी-एच; 589-ए-बी]

हरविंद्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता कार्मिक, यूपी जल निगम, लखनऊ और अन्य, [2002] 2 यूपीएलबीईसी 1511; हरविन्द्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता कार्मिक एवं अन्य। [2005] 13 एससीसी 300 और अध्यक्ष, यूपी. जल निगम एवं अन्य. वी.जसवंत सिंह और अन्य, जेटी [2006] 10 एससी 500, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1701/2007

2005 की विशेष अपील संख्या 559 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.05.2005 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से एस. वसीम ए. कादरी, राजीव दुबे और कमलेंद्र मिश्रा।

प्रत्यर्थियों की ओर से रचना गुप्ता और डॉ. इंद्र प्रताप सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले को दी गई है, जिसमें एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अपील में एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपीलकर्ता नंबर 1 की सेवा में बने रहना होगा। अपीलार्थी का मामला दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ और डिवीजन बेंच का कहना था कि उसके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की मानक आयु 58 वर्ष है और रिट याचिकाकर्ता

यानी प्रत्यर्था संख्या 1 कोई अपवाद नहीं था। विशेष अपील यह कहते हुए दायर की गई थी कि अंतरिम आदेश हरविंद्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता कार्मिक, यूपी जल निगम, लखनऊ और अन्य, (2002) 2 यूपीएलबीईसी 1511 में डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत था। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज की।

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अंतरिम आदेश डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार के विपरीत था जो बाद की डिवीजन बेंच और किसी भी स्थिति में सभी विद्वान एकल न्यायाधीशों पर बाध्यकारी था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्था नंबर 1 के विद्वान वकील ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है या 60 वर्ष, इस पर विवाद का निपटारा इस न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

5. हरविंद्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता कार्मिक एवं अन्य, [2005] 13 एससीसी 300 में सवाल उठाया गया था कि क्या मौलिक नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों पर लागू होती है।

6. उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 (संक्षेप में 'अधिनियम') और उत्तर प्रदेश जल निगम इंजीनियर्स (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियम, 1978 (संक्षेप में "विनियम") के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

7. विचारणीय बिन्दु को अधिनियम की धारा 15, 31(1), 37, 89 और 97 और विनियमों का विनियम 31 का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:

"15. जल निगम की शक्तियाँ। "15 - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके

लिए इस अधिनियम के अधीन उसके अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:-

(एक) समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना;

(दो) किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे;

(तीन) अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(चार) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना

(पाँच) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;

(छ) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;

(सात) स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना;

(आठ) जल संस्थानों के अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना;

(नौ) धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(दस) स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।"

31. संपत्ति का निगम में निहित होना और हस्तांतरण। (1) 18 जून, 1975 निगम की स्थापना की दिनांक, जिसे आगे "नियत दिनांक" कहा गया है,-

(क) समस्त संपत्तियां और आस्तियां (जिसे अंतर्गत जलकार्य, भवन, प्रयोगशालाएं, भंडार, यान, फर्नीचर और अन्य साज-सामान सम्मिलित हैं) जो नियत दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार के स्थानीय स्व सरकारी इंजीनियरिंग विभाग के प्रयोजनों के लिए निहित थीं और निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा; और

(बी) राज्य सरकार के समस्त अधिकार, देनदारियां और दायित्व चाहे वे उक्त विभाग से संबंधित किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब निगम के अधिकार, देनदारियां और दायित्व होंगे।

37. कर्मचारियों का निगम में स्थानांतरण.

(1) इस धारा में उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत था, नियत तिथि से ही निगम का कर्मचारी बन जायेगा तथा वह अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, समान पारिश्रमिक पर और समान अन्य नियमों और शर्तों पर, और पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य मामलों के समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ रखेगा, जैसा कि वह नियत तारीख को करता। यदि इस अधिनियम में प्रवृत्त में ना होते हुए और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक उसका सेवा योजन निगम से समाप्त ना कर दिया जाए अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबंध के अनुसार जिससे उसकी सेवाएं नियोजित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवाओं के अन्य अनुबंध अथवा शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित ना कर दी जाएं:

89. नीति के प्रश्नों पर निगम को निर्देश (1) अपने कार्यों के निर्वहन में, निगम नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला है या नहीं, जिसके संबंध में राज्य सरकार उपधारा (1) के तहत निर्देश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

97. विनियम. (1) निगम और जल संस्थान, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, निगम या जल संस्थान के मामलों के प्रशासन के लिए ऐसे नियम बना सकते हैं जो इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्

(ए) (बी) * *

(सी) वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के अलावा निगम या जल संस्थान के कर्मचारी;"

विनियम 31

"31. इन विनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अलावा, वेतन और भत्ते, पेंशन, छुट्टी, जुर्माना लगाना और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी जो राज्य में कार्य कर रहे संबंधित अन्य सेवारत सरकारी सेवकों पर समान रूप से लागू होते हैं।"

8. उपरोक्त प्रावधानों से, यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत तिथि 18-6-1975 थी जब निगम की स्थापना की गई थी और अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलकर्ता- याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तें लागू थीं। नियत तिथि से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय स्वशासन अभियंत्रण विभाग में कार्यरत कर्मचारी तब तक वहीं बने रहेंगे, जब तक कि निगम द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। धारा 97 निगम को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और, उसके तहत कार्य करते हुए, निगम द्वारा वर्ष 1978 में नियम बनाए गए थे, विनियमन 31 में यह प्रावधान है कि निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी जो उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत अन्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू होती हैं।

इस प्रकार, धारा 37 और विनियम 31 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत लागू होती हैं। ऐसे सरकारी सेवकों को, जब तक निगम द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जाता है। यदि नियम नहीं बनाए गए हैं, तो निगम के पास अधिनियम की धारा 15(1) के तहत अवशिष्ट शक्ति थी, जिसके तहत वह सामान्य शक्ति के तहत सेवा शर्तों को बदल सकता था और यह तब तक क्रियाशील रह सकता था जब तक कि नियम नहीं बनाए गए थे,

वर्तमान मामले में विनियम 31 में विशेष रूप से प्रावधान करते हुए वर्ष 1978 में पहले से ही विनियम तैयार किए गए थे कि निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी, जिसका अर्थ केवल यह नहीं होगा कि वे बनी रहेंगी बल्कि उसमें किया गया कोई भी संशोधन न तो धारा 37 में होगा, ना ही विनियम 31 में होगा। यह उल्लेख किया गया है कि नियम जो अस्तित्व में हैं वही लागू होंगे। सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 56(ए) में किये गये संशोधन के बाद आयु में 58 वर्ष से 60 वर्ष की वृद्धि की गयी। यह निगम के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा और यदि राज्य सरकार के साथ-साथ निगम का इरादा है कि यह लागू नहीं होगा, तो उसके पास एकमात्र विकल्प था कि राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के बाद विनियमों के नियम 31 में उपयुक्त संशोधन किया जाए और केवल राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 89 के तहत कार्य करने का निर्देश जारी किया जाए और उसके बाद निगम द्वारा कर्मचारियों की आयु के संबंध में अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रशासनिक निर्णय लेना विनियमों के नियम 31 में संशोधन करने के समान नहीं होगा।

9. हरविंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा जताया था। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के साथ-साथ टाइल निगम द्वारा पारित आदेशों को खारिज कर दिया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सिविल अपील के अपीलकर्ता और रिट याचिका के याचिकाकर्ता 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और यह निर्देश दिया गया था कि यदि किसी अंतरिम आदेश के आधार पर कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक बने रहने की अनुमति दी गई है, तो उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन हालांकि, उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी बने रहने की अनुमति नहीं दी गई है। बिना किसी गलती के निगम द्वारा लिए गए गलत निर्णय के आधार पर वे 60 वर्ष की आयु तक की शेष अवधि के लिए वेतन के भुगतान के हकदार होंगे, जिसका भुगतान उन्हें निगम द्वारा इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना था।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने हरविंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष, उ.प्र.जल निगम एवं अन्य। वी.जसवंत सिंह एवं अन्य, जेटी (2006) 10 एससी 500) निर्णय निम्नलिखित शर्तों में दोहराया गया था:

"लाभ केवल उपर्युक्त व्यक्तियों तक ही सीमित होंगे जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले रिट याचिका दायर की है या उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। निगम द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई अपीलें विफल हो जाएंगी और उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। बाकी अपीलें अनुमति दी जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

11. ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपील बिना योग्यता के है, खारिज करने योग्य है, जैसा कि हम निर्देशित करते हैं।

डी.जी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्याम कुमार व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।